

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 178
उत्तर देने की तारीख 18.07.2016
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का संवर्धन

178. श्री दुष्यंत चैटाला:

श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में आवश्यक व रोजगार अवसर प्रदान करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमी तैयार करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के संवर्धन हेतु कोई कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है या कोई पहल की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत कितनी निधि आवंटित की गई है एवं कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं तथा इसका राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का देश में एम एस एम ई के लिए निवेश सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में आवंटित निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) देश में एम एस एम ई के उन्नयन एवं विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदमों का विवरण क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): जी, हाँ। मंत्रालय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उससे सतत स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महिला कयर योजना (एमसीवाई), कयर उद्यमी योजना (सीयूवाई) और उत्पादन अवसंरचना विकास स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन के लिए कार्यनिष्पादन और ऋण रेटिंग स्कीम (पीसीआरएस), विपणन सहायता स्कीम (एमएसएस), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम (आईसीएस), प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई), ऋण गारंटी स्कीम, ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, बाजार विकास सहायता, कौशल विकास कार्यक्रम, आदि भी कार्यान्वित कर रहा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने क्रमशः वर्ष 2013-14 (बजट अनुमान), 2014-15 (बजट अनुमान), 2015-16 (बजट अनुमान) के लिए 2,977.00 करोड़ रूपए, 3,327.00 करोड़ रूपए और 2,612.50 करोड़ रूपए आबंटित किए हैं। वर्ष 2016-17 (बजट अनुमान) के लिए आबंटित योजना परिव्यय 3,000.00 करोड़ रूपए है।

विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पीएमईजीपी, महिला कयर योजना, कयर उद्यमी योजना तथा उत्पादन अवसंरचना विकास के अंतर्गत आबंटित निधियों और उनसे लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरा क्रमशः अनुबंध-I और II में दिया गया है।

पीसीआरएस, एमएएस, आईसीएस और एटीआई के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक कार्यनिष्पादन निम्नलिखित है:

(करोड़ रु. में)

स्कीम	2013-14		2014-15		2015-16	
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
कार्यनिष्पादन ऋण रेटिंग	62.00	57.98	90.00	88.00	37.00	37.00
विपणन सहायता	14.00	10.88	14.00	11.68	16.52	16.52
आईसी स्कीम	5.00	4.44	5.00	3.94	4.00	3.60
प्रशिक्षण संस्थान	142.00	117.48	87.00	86.25	75.02	72.87

वास्तविक कार्यनिष्पादन

स्कीम	2013-14		2014-15		2015-16	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
पीसीआरएस (इकाइयां)	20000	24886	16000	23373	8000	12975
एमएएस (प्रदर्शनियां और व्यापार मेले विपणन अभियान)	36 700	41 743	19 400	21 635	27 100	12 233
आईसीएस (कार्यक्रम/उद्यमी)	40 / 400	56 / 700	40 / 500	43 / 603	50 / 500	55 / 875
एटीआई (प्रशिक्षण के लिए व्यक्ति)	110500	89572	137885	135157	50778	50416

(ग) और (घ) जी, हॉ। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015 के माध्यम से देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निर्धारित संयंत्र और मशीनरी में निवेश सीमा को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है जो संसद में विचाराधीन है।

(ड.) मंत्रालय ने उद्यमों के पंजीकरण को सरल कर ऑनलाइन उद्योग आधार ज़ापन (यूएएम) शुरू किया है। महिलाओं की कवरेज सहित सरकार द्वारा विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। सरकार ने मुद्रा योजना शुरू की है जिसमें उद्यम शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार ने 'स्टैंडअप इंडिया' भी घोषित किया है जिसमें प्रत्येक बैंक शाखा (कुल 1.25 लाख शाखाएं) नए उद्यमों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करेगी।

दिनांक 18.07.2016 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 178 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटित निधियां और लाभार्थियों की संख्या									
क्र. सं.	राज्य	2013-14		2014-15		2015-16 (अंतिम)		2016-17	
		आबंटित निधि/मार्जिन मनी/लक्ष्य (रू. लाख में)	स्थापित परियोजनाओं की संख्या	आबंटित निधि/मार्जिन मनी/लक्ष्य (रू. लाख में)	स्थापित परियोजनाओं की संख्या	आबंटित निधि/मार्जिन मनी/लक्ष्य (रू. लाख में)	स्थापित परियोजनाओं की संख्या	आबंटित निधि/मार्जिन मनी/लक्ष्य (रू. लाख में)	स्थापित परियोजनाओं की संख्या (30.06.2016 तक)
1	जम्मू और कश्मीर	2983.59	1855	2919.50	1565	4006.80	2207	3541.26	0
2	हिमाचल प्रदेश	1730.87	1112	1687.45	1244	1721.57	1077	1970.11	181
3	पंजाब	2665.96	979	2711.49	1153	3026.80	966	3504.09	501
4	चंडीगढ़	304.74	55	287.99	36	90.00	43	100.00	13
5	उत्तराखंड	1934.23	1236	1882.35	1333	1909.93	1136	2140.93	139
6	हरियाणा	2771.26	935	2716.36	1175	3747.40	1248	3371.31	196
7	दिल्ली	1075.38	142	1061.04	198	257.35	256	300.00	13
8	राजस्थान	5554.14	1280	5369.78	1976	4188.14	1988	5500.99	37
9	उत्तर प्रदेश	13786.28	4354	13339.41	4891	17535.32	4365	12981.52	1938
10	बिहार	8675.93	3121	8277.14	1639	7118.59	2430	6909.77	818
11	सिक्किम	584.56	66	541.34	16	227.38	110	200.00	2
12	अरुणाचल प्रदेश	1852.57	657	1793.42	652	200.08	35	500.00	100
13	नागालैंड	1705.43	421	1563.64	416	1255.83	623	1751.68	41
14	मणिपुर	1557.67	733	1403.65	747	2855.92	685	1741.70	477
15	मिजोरम	1117.83	777	1043.39	817	924.99	1134	1253.49	99
16	त्रिपुरा	1163.93	1307	985.02	787	2748.26	642	1578.62	1084
17	मेघालय	1333.04	397	1184.79	555	1250.62	603	1748.10	129
18	असम	6210.97	8255	5388.75	5015	4969.87	3483	5636.41	2234
19	पश्चिम बंगाल	4627.57	3216	4396.32	3397	4765.49	1873	3680.30	797
20	झारखंड	4738.31	2612	4547.06	1699	3462.64	1839	4165.73	423
21	ओडिशा	5854.95	2146	5621.47	2013	6282.00	2876	5201.65	787
22	छत्तीसगढ़	3623.56	921	3474.41	847	4303.80	1277	4493.30	256
23	मध्य प्रदेश	8466.23	2462	8182.74	2737	7729.40	1979	8527.32	388
24	गुजरात एवं दमन और दीव	4375.58	914	4346.72	1289	6536.16	1419	5398.45	436
25	महाराष्ट्र एवं दादरा और नगर हवेली	6539.82	2186	6299.38	3469	9718.42	2497	6111.29	566
26	आंध्र प्रदेश	4829.17	1453	2667.87	937	4496.85	642	2336.59	626
27	तेलंगाना	0.00	0	1954.44	604	2094.00	660	2004.86	256
28	कर्नाटक	4538.84	2778	4512.99	2431	10846.89	2140	4941.62	1632
29	गोवा	490.68	79	466.91	78	159.40	91	371.62	0
30	लक्षद्वीप	758.55	4	704.68	31	90.00	0	50.00	0
31	केरल	2278.34	1505	2306.51	1344	2731.60	1369	2446.06	499
32	तमिलनाडु	4969.70	2268	4974.91	2858	7110.80	2463	5291.23	884
33	पुडुचेरी	781.12	43	100.00	58	100.00	65	150.00	65
34	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	619.20	224	593.09	161	158.00	119	100.00	0
	कुल	114500.00	50493	109306.00	48168	128620.30	44340	110000.00	15617

दिनांक 18.07.2016 के लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 178 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

महिला कयर योजना -सब्सिडी

(वास्तविक सं. में और वित्त लाख रु. में)

राज्य	2013-14				2014-15				2015-16				2016-17 (30.6.2016 की स्थिति के अनुसार)			
	वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय	
	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.
आंध्र प्रदेश	400	--	30.00		450	--	20.00	--	300	--	15.00	--	100		5.00	
तेलंगाना													20		1.00	
ओडिशा	500	90	37.50	2.88	450	--	20.00	--	300	--	15.00	--	100		5.00	
केरल	800	40	60.14	1.28	550	188	28.00	4.52	600	531	30.00	11.15	220	137	11.00	2.66
लक्षद्वीप	--	--	--	--	100	--	--	--	100	--	5.00	--	40		2.00	
कर्नाटक	500	315	37.50	10.08	350	--	--	--	250	--	15.00	--	80		4.00	
महाराष्ट्र	--	--	--	--	50	--	--	--	50	--	2.50	--	40		2.00	
गोवा	--	--	--	--	50	--	--	--	50	--	2.50	--				
गुजरात	--	--	--	--	50	--	--	--	50	--		--	20		1.00	
तमिलनाडु	585	--	43.86	--	250	38	20.00	0.90	400	--	25.00	--	140		7.00	
पांडिचेरी	--	--	--	--	100	--	--	--	100	--	--	--	40		2.00	
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	--	--	--	--	100	--	--	--	100	--	5.00	--	40		2.00	
पश्चिम बंगाल	400	--	30.00	--	400	128	--	3.76	100	65	5.00	2.05	60		3.00	
पूर्वोत्तर क्षेत्र	--	--	--	--	100	--	--	--	100	--	5.00	--	100		5.00	
कुल	3185	445	239.00	14.24	3000	354	88.00	9.18	2500	596	125.00	13.20	1000	137	50.00	2.66

कयर उद्यमी योजना

(वास्तविक सं. में और वित्त लाख रु.में)

राज्य	2013-14				2014-15				2015-16				2016-17 (30.6.2016 की स्थिति के अनुसार)			
	वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय	
	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.
केरल	250	203	3.80	0.78	150	86	3.27	0.34	150	291	290	183.48	140	59	290	39.86
लक्षद्वीप	0	0	0.00	0.00	8	0	0.17	0.00	20	0	40	0.00	15	0	40	0.00
तमिलनाडु	320	138	5.20	2.63	155	95	3.38	1.79	155	159	300	624.14	100	57	300	226.11
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0.00	0.00	20	0	0.44	0.00	25	0	48	0.00	10	0	48	0.00
कर्नाटक	120	31	1.80	0.61	106	38	2.31	0.75	150	1	290	4.00	100	12	285	47.99
महाराष्ट्र	0	0	0.00	0.00	25	0	0.55	0.00	23	0	45	0.00	20	4	45	12.61
गुजरात	0	0	0.00	0.00	5	0	0.11	0.00	10	0	20	0.00	10	0	20	0.00
गोवा	0	0	0.00	0.00	10	0	0.22	0.00	15	0	29	0.00	15	0	29	0.00
आंध्र प्रदेश	70	2	1.16	0.04	45	28	0.98	0.59	100	74	195	215.60	70	13	200	42.00
ओडिशा	50	106	0.76	2.04	65	21	1.42	0.40	65	65	125	146.48	50	0	125	0.00
झारखंड	0	0	0.00	0.00	5	0	0.11	0.00	5	0	9	0.00	5	0	9	0.00
बिहार	0	0	0.00	0.00	5	0	0.11	0.00	5	0	9	0.00	6	0	9	0.00
पश्चिम बंगाल	0	0	0.00	0.00	20	0	0.43	0.00	20	8	40	13.85	20	0	40	0.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र	90	0	1.08	0.00	69	0	1.50	0.00	82	13	160	5.46	57	14	160	6.46

कुल	900	480	13.80	6.10	688	268	15.00	3.87	825	611	1600	1193.01	618	159	1600	375.03
-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-------	------	-----	-----	------	---------	-----	-----	------	--------

उत्पादन अवसंरचना का विकात

(वास्तविक सं. में और वित्त लाख रु. में)

राज्य	2013-14				2014-15				2015-16				2016-17 (30.6.2016 की स्थिति के अनुसार)			
	वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय	
	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.
आंध्र प्रदेश	5	1	30.00	3.02	5	2	30.00	8.42	2	--	4.00	--	1		3	
तेलंगाना													1		3	
ओडिशा	5	1	30.00	--	5	--	30.00	--	2	1	4.00	2.00	2		6	
केरल	15	2	90.00	4.75	12	2	90.00	6.87	5	2	10.00	6.73	5		15	
लक्षद्वीप	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--				
कर्नाटक	5	4	30.00	13.73	5	6	30.00	22.84	2	--	4.00	--	2		6	
महाराष्ट्र	--	--	--	--	2	--	--	--	2	--	4.00	--	2		6	
गोवा	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--				
गुजरात	--	--	--	--	1	1	--	3.99	--	--	--	--				
तमिलनाडु	40	27	220.00	68.74	25	33	220.00	115.28	9	22	18.00	86.58	10	1	30	3.00
पांडिचेरी	--	--	--	--	3	--	--	--	1		2.00	--				
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--				
पश्चिम बंगाल	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	--	--	--	--	4	--	--	--	2	--	4.00	--	2		6	
कुल	70	35	400.00	90.24	70	44	400.00	157.40	25	25	50.00	95.31	25	1	75	3.00